कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

E-mail-dcourtdam-mp@nic.in *Contact no. 07812-222733 Fax-227733*

—:: निविदा ::—

कमांक— ...736.. / नजारत / साईकिल स्टेण्ड / 2017—18 दमोह, दिनांक 05 अप्रैल, 2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर दमोह में वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए वाहन स्टैण्ड हेतु आमंत्रित ई—निविदाओं की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2018 को सायंकाल 05:00 बजे तक पर्याप्त निविदायें प्राप्त न होने के कारण अंतिम तिथि 11.04.2018 को सायंकाल 05:00 बजे तक निविदायें जमा करने का समय वृद्धि करते हुए विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर **सीलबंद लिफाफे** में रजिस्टर्ड डाक / हमदस्त (**पता**—जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से आमंत्रित हैं :—

1— वाहन स्टैण्ड हेतु ई—निविदा संलग्न निविदा प्रारूप पर पूर्ति कर **सीलबंद लिफाफे** में रजिस्टर्ड डाक / हमदस्त (**पता**—जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से प्रेषित करना होगा।

2— वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें—
   (ए) साईकिल रूपये—2 / —प्रतिदिन अथवा रूपये—40 / —प्रतिमाह।
   (बी) मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड टू—व्हीलर रूपये—5 / —प्रतिदिन अथवा रूपये—100 / —प्रतिमाह।
   (सी) चार पहिया वाहन रूपये—10 / —प्रतिदिन अथवा रूपये—200 / —प्रतिमाह होगी।

3— लोककल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके / प्याऊ स्टैण्ड के समीप स्थापित करनी होगी।

4— विभागीय क्रय समिति द्वारा ई—निविदा की वरीयता चयन करने पर सूचित करने के पूर्व दिनांक—11.04.2018 को सायंकाल 05:00 बजे तक रूपये—10000 / — (दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी नजारत अनुभाग दमोह में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करने पर ही ई—निविदा अंतिम रूप से मान्य की जाकर दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 हेतु वाहन स्टैण्ड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने पर अनुबंध की शेष राशि 3 दिन में जमा कर वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुमति दी जावेगी। अर्नेस्ट मनी का जमा नहीं किये जाने पर निविदा का लिफाफा नहीं खोला जायेगा। विभागीय क्रय समिति द्वारा दिनांक 11.04.2018 को सायंकाल 05:15 बजे निविदा के लिफाफे निविदाकर्ता प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेंगे, जो निविदाकार प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होंगे उनका लिफाफा नहीं खोला जावेगा।

5— वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध—गृहीता की होगी।

6— दिनांक 13.04.2018 तक अधिकतम अधिमान्य निविदा दाता के द्वारा शेष वार्षिक अनुबंध की राशि अदा नहीं करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात कर द्वितीय अधिकतम दर से संबंधित निविदा दावा को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

7— अर्नेस्ट मनी रूपये 10,000 / — (दस हजार मात्र) की 4 गुना राशि रूपये 40,500 / — (चालीस हजार पांच सौ मात्र) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।

8— विभागीय क्रय समिति की सिफारिश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के अनुमोदन पर तत्काल अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट देने पर ही अधिकतम दर की निविदा स्वीकृत कर शेष राशि जमा करने की सूचना दी जावेगी।

9— नियंत्रणाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उक्त ई—निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

10— प्रशासकीय कारणों से उक्त ई—निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

11— वार्षिक अनुबंध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबंध प्रकिया प्रारंभ की जा सकती है।

संलग्न—निविदा फार्म

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह(म.प्र.)

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

1- Rate Quotation of the Tenderer ....

2- Earnest monty Rupes : 10,000/- will be diposite after approval of tender by head of deparment office.

3- PAN No. .... Enclose copy of current Income Tax Return.

4- TIN No. .... Enclose copy of live registration.

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us

Signature ....

Name & address with Seal & Date ....

....

....

....

....

Phone (O) ....

Fax ....

(M) ....

E-mail ....